कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति

विषयसूची

1.	परिचय	2
2.	उद्देश्य	2
3.	परिभाषाएं	2
4.	समिति की भूमिका	2
5.	बोर्ड की भूमिका	3
6.	सीएसआर गतिविधियों पर व्यय	4
7.	वार्षिक कार्य योजना	5
8.	सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन	5
9.	निगरानी एवं प्रशासन	6
10.	प्रतिनिधि मंडल	7
11.	समीक्षा, सीमा और संशोधन	7
12.	अनुसूची I	8

**अंतिम बार निदेशक मंडल द्वारा 29 अप्रैल, 2021 को संशोधित किया गया*

1. परिचय

यह कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) नीति समय-समय पर संशोधित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 के प्रावधानों के अनुसार है।

निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2021 को कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी समिति द्वारा तैयार और अनुशंसित इस संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति को अपनाया।

2. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करना और कंपनी द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन, कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया स्थापित करना है।

3. परिभाषाएं

इस नीति में प्रयुक्त सभी शर्तें, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,इसका वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया हैकंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम, 2014 पढ़ें, जिसमें कोई संशोधन, संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन शामियमन शामिल है।

4. समिति की भूमिका

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(a) एक कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी अनुशंसा करना, जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;

(b) अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करें और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:

i. सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने की मंजूरी दी गई है;

ii. परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका;

iii. परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए धन के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम;

iv. परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र;और

v. कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण;

(c) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना;

(d) सीएसआर नीति और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(e) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे और/या सौंपे जा सकते हैं।

5. बोर्ड की भूमिका

कंपनी का निदेशक मंडल इसके लिए जिम्मेदार होगा:

(a) सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी।

(b) सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देना और उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर, सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में बदलाव करना।

(c) अपनी रिपोर्ट में नीति की सामग्री का खुलासा करना और कंपनी की वेबसाइट पर नीति को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियमों के साथ निर्धारित तरीके से डालना।

(d) अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और परियोजनाओं का खुलासा करना।

(e) यह सुनिश्चित करना कि नीति में शामिल गतिविधियाँ कंपनी द्वारा स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से की जाती हैं और अनुमोदित समयसीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं।

(f) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पॉलिसी के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हुए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करे।

(g) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रकार वितरित धनराशि का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रमाणीकरण जहां सीएसआर परियोजना ऐसी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

(h) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दे।

(i) यह सुनिश्चित करना कि यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है तो वह अपनी रिपोर्ट में निर्धारित राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करे और, जब तक कि खर्च न की गई राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अप्रयुक्त राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित कर दिया जाए।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर।

(j) यह सुनिश्चित करना कि प्रशासनिक ओवरहेड वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(k) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करें, जैसा कि दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता वाली कंपनियों पर लागू होता है, और ऐसी रिपोर्ट सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट का भी हिस्सा बनेगी।

6. सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% (दो प्रतिशत) या ऐसी अन्य राशि जो समय-समय पर अनुमोदित के अनुसार अधिसूचित की जा सकती है, खर्च करेगी। सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना।

वार्षिक सीएसआर बजट के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग मुख्य रूप से अनुसूची I में वर्णित गतिविधियों/क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।

सीएसआर गतिविधियां भारत में केवल जनता के लाभ के लिए की जाएंगी, न कि केवल कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए। बशर्ते कि सीएसआर गतिविधियां शुरू करने के लिए उन स्थानीय क्षेत्रों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कंपनी संचालित होती है।

कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष और/या अतिरिक्त राजस्व कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनेगा और इसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या इस सीएसआर नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक कार्य योजना या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी अधिशेष राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करना।

अत्यधिक खर्च:

जहां कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक सीएसआर दायित्व से अधिक राशि खर्च करती है, बोर्ड के प्रस्ताव के पारित होने के अधीन, ऐसी अतिरिक्त राशि, उत्पन्न होने वाले अधिशेष को छोड़कर, तत्काल अगले तीन वित्तीय वर्षों तक सीएसआर खर्च के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है।

खर्च के अंतर्गत:

वार्षिक सीएसआर परियोजना से संबंधित अव्ययित सीएसआर राशि को अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल किसी भी फंड जैसे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, स्वच्छ भारत कोष या अधिनियम के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य फंड में स्थानांतरित किया जाएगा।

संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 6 (छः) माह।

यदि अव्ययित सीएसआर राशि किसी चालू सीएसआर परियोजना से संबंधित है, तो राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत के 30 (तीस) दिनों के भीतर एक अलग बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसे "अव्ययित सीएसआर खाता" कहा जाएगा। 3 (तीन) वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर अपनी सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर दायित्वों पर खर्च किया गया।

यदि कंपनी 3 (तीन) वित्तीय वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर चालू सीएसआर परियोजना पर सीएसआर दायित्व खर्च करने में असमर्थ है, तो उसे 3 वित्तीय वर्षों के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल किसी भी फंड में खर्च न की गई राशि को स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के (तीस) दिन।

7. वार्षिक कार्य योजना

सीएसआर समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को उसकी सिफारिश करेगी।

सीएसआर समिति और बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार/अनुमोदन करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने की मंजूरी दी गई है;
- परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका;
- परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए धन के उपयोग के तौर-तरीके और कार्यान्वयन कार्यक्रम;
- परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; और
- कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण;

वार्षिक कार्य योजना में कोई भी संशोधन सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित किया जाएगा और उस प्रभाव के उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

8. सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन

(a) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गई गतिविधियों को छोड़कर, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों (नए या चालू) के रूप में स्वयं सीएसआर गतिविधियां शुरू कर सकती है;

(b) कंपनी किसी एजेंसी के माध्यम से पहचानी गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती है, बशर्ते एजेंसी द्वारा अपनाई गई गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII के साथ पढ़ी गई अनुसूची I में वर्णित दायरे और दायरे में शामिल हों।

बशर्ते, ऐसी परियोजनाओं पर धन के उपयोग के तौर-तरीके और रिपोर्टिंग तंत्र

कंपनी द्वारा समय-समय पर समिति या बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(c) परियोजनाओं के शुरू होने से पहले और/या कार्यान्वयन के दौरान आवश्यकता आधारित मूल्यांकन और निगरानी की जाएगी। निगरानी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवंटित सीएसआर निधि अनुमोदित समयसीमा के भीतर केवल इच्छित उद्देश्य के लिए ही खर्च की जाए।

(d) कंपनी नियमों में निर्धारित अलग-अलग रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती है।

(e) अधिनियम की धारा 182 के तहत कंपनी द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी योगदान सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाएगा।

9. <u>निगरानी एवं प्रशासन</u>

i. कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार चल रही परियोजनाओं सहित हर साल सीएसआर कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा।

ii. किसी कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि सीएसआर गतिविधियों के लिए वितरित धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा।

iii. कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजना को उसकी प्रगति सहित शामिल करेगी। अनिवार्यसेट-ऑफ़ के लिए उपलब्ध राशि, चल रही परियोजना के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि, प्रशासनिक ओवरहेड्स, चल रही परियोजना के विरुद्ध खर्च न की गई राशि, वार्षिक रिपोर्ट में की जाने वाली पूंजीगत संपत्ति के संबंध में अतिरिक्त खुलासे।

iv. इसके अलावा, यदि कंपनी पर अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपये या उससे अधिक (या समय-समय पर अधिनियम में निर्दिष्ट कोई अन्य राशि) का औसत सीएसआर दायित्व है, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, कंपनी एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन करेगी, और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हो।

v. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

vi. सीएसआर समिति को आवश्यकता पड़ने पर, विशेष रूप से उच्च मूल्य या रणनीतिक सीएसआर कार्यक्रमों के लिए, बाहरी एजेंसियों / तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा अपने सीएसआर परियोजनाओं के स्थितिजन्य विश्लेषण, मूल्यांकन सर्वेक्षण, क्षेत्र दौरे और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है। उक्त संगठन/संस्था/एजेंसी, जिसे सीएसआर फंड आवंटित किया गया है, के सांविधिक लेखा परीक्षक, यदि कोई हो, द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत किया जाएगा।

vii. उपरोक्त गतिविधियों को करने के लिए बोर्ड निष्पादन की शक्ति कंपनी के व्यक्तियों/अधिकारियों को सौंप सकता है।

10. प्रतिनिधि मंडल

निदेशक मंडल नीति में निहित, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की शक्ति सहित, बोर्ड की किसी भी भूमिका, शक्तियों और जिम्मेदारियों को कंपनी के किसी भी निदेशक और/या अधिकारी को सौंप सकता है, जहां तक वे कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं।

11. समीक्षा, सीमा और संशोधन

सीएसआर समिति या निदेशक मंडल इस नीति की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसी भी समय लागू किसी भी कानून में किसी भी बदलाव के अनुसार बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। कानून और संगठन की जरूरतें।

कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी नीति) नियम, 2014, समय-समय पर संशोधित ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम लागू होंगे यह नीति.

इस संबंध में विनियमों में कोई भी आगामी संशोधन/संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

अनुसूची I

फोकस और गतिविधियों के क्षेत्र

A. भूख, गरीबी, कुपोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य:

1) अत्यधिक भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;
2) गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का निःशुल्क वितरण;
3) स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाना;
4) गरीबों के लिए भूख, गरीबी और कुपोषण के उन्मूलन के लिए स्थापित धारा 8 कंपनियों, पंजीकृत ट्रस्टों और सोसायटी में योगदान।
5) किसी भी प्रकार की सहायता, मौद्रिक या अन्यथा के माध्यम से गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, जिसमें चिकित्सा व्यय, उपचार, दवाओं आदि के लिए योगदान शामिल है।
6) अस्पतालों, औषधालयों, निदान केंद्रों, चिकित्सा शिविरों, स्वास्थ्य जांच शिविरों और किसी अन्य समान गतिविधियों के लिए दान या समर्थन;
7) अस्पतालों, औषधालयों, निदान केंद्रों, चिकित्सा शिविरों, स्वास्थ्य जांच शिविरों की स्थापना/संचालन और किसी भी अन्य समान गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान; और
8) स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान;

B. शिक्षा और रोजगार:

1) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को बढ़ावा देना;
2) आजीविका संवर्धन परियोजनाओं को बढ़ावा देना;
3) छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता करने के उद्देश्य से बंदोबस्ती निधि, कुर्सियों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना के लिए शैक्षणिक संस्थानों में मौद्रिक योगदान;
4) कंप्यूटर साक्षरता और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त शिक्षा को बढ़ावा देना;
5) एमएसएमई पर विशेष ध्यान देकर उद्यम विकास को बढ़ावा देना;
6) शिक्षण केंद्रों और अन्य माध्यमों के संचालन के माध्यम से युवाओं को व्यावसायिक/तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण;
7) कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना;
8) वर्दी, किताबें, स्टेशनरी, कंप्यूटर और प्रयोगशाला उपकरण और अन्य का प्रावधान

स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए बुनियादी सुविधाएँ।

9) शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति।.

10) विशेष शिक्षा सुविधाओं सहित स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक भवनों और सुविधाओं का निर्माण/मरम्मत; और

11) संगठनों को वित्तीय सहायता देकर या ढांचागत समर्थन के माध्यम से तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

12) केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न शैक्षिक और रोजगार कार्यक्रमों को पूरक बनाना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना।

C. महिलाएँ, बच्चे एवं वरिष्ठ नागरिक:

1) व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, उद्यमिता कार्यक्रम आदि को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना;

2) महिलाओं, बच्चों और अनाथों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरों, छात्रावासों और डे केयर केंद्रों की स्थापना/चलाना/सहायता करना;

3) वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रितों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखभाल गृहों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना/चलाना/सहायता करना; और

4) सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपायों को अपनाना।

D. पर्यावरण:

1) पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में उपयुक्त उपाय करना;

2) पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण;

3) कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना; और

4) गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान।

E. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति:

1) इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना; और

2) सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और विकसित करना।

F. सशस्त्र बल:

1) सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए उपाय;

2) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) के दिग्गज, और विधवाओं सहित उनके आश्रित

3) युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के उत्थान के लिए योगदान;

4) सशस्त्र बलों के शहीद अधिकारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा/छात्रवृत्ति प्रदान करना; और

5) सशस्त्र बलों द्वारा या उनके लाभ के लिए स्थापित कोष में योगदान।

G. खेल:

1) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न खेलों के विकास में योगदान;

2) पैरालंपिक और ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रशिक्षण; और

3) ग्रामीण खेलों और अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देना।

H. दान/योगदान

1) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) या ऐसे अन्य फंड में योगदान, जिसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सीएसआर के लिए अधिसूचित किया जा सकता है;

2) सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में योगदान;

3) अधिनियम की अनुसूची VII के तहत किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में गतिविधियों को चलाने के लिए स्थापित पंजीकृत ट्रस्टों, सोसायटी और धारा 8 कंपनियों को योगदान;

4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटरों में योगदान; और

5) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में स्थापित) में योगदान सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देना

I. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ:

पहुंच, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बिजली, आजीविका और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार के लिए योगदान देकर ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करना जिससे टिकाऊ गांवों का निर्माण हो सके।

J. स्लम क्षेत्र विकास:

1) पहुंच, आवास, पेयजल, में सुधार करके स्लम क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दें

स्वच्छता, बिजली और आजीविका; और

2) मलिन बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

K. आपदा प्रबंधन:

आपदा प्रबंधन, जिसमें देश भर के प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।

गतिविधियों की उपरोक्त सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। सीएसआर समिति उपरोक्त सूची में न आने वाली सीएसआर गतिविधियों पर इस शर्त के अधीन विचार कर सकती है कि ऐसी गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित विषयों से संबंधित हों।